[2019] 14 एस. सी. आर. 485

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

वी.

बाबूलाल लेडी एंड ऑर्स।

(2016 की सिविल अपील संख्या 232)

04 दिसंबर, 2019

[मोहन एम. शांतनागौदर और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तनः एस. 13 (7) क्या कर्मचारियों का बकाया प्रतिभूति के दावे पर प्राथमिकता ले सकता है। लेनदार-तत्काल मामले में, प्रतिवादी नं। 6 - सोसायटी (कारखाना)

अपीलार्थी-बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त की और बदले में अपनी संपत्तियों को गिरवी रखा-ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक-अपीलार्थी द्वारा वसूली कार्यवाही-एस के तहत बैंक। 13 (2) कारखाना के खिलाफ-खराब वित्तीय स्थिति के कारण, कारखाना ने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए नोटिस जारी किया -

कर्मचारियों के प्रतिनिधि-उत्तरदाता नं। 1 3 ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष नोटिस को सफलतापूर्वक चुनौती दी और आदेश प्राप्त किया जिसके तहत कारखाना को अपने कर्मचारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अवैतनिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था-उक्त आदेश पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी नं। 1 3 ने कारखाना के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की और अपीलकर्ता-बैंक-औद्योगिक न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ कारखाना कर्मचारियों के अवैतनिक वेतन के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है-इसने अपनी अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए कारखाना के खिलाफ ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से भी इनकार कर दिया-हालांकि, कारखाना को अवैतनिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

जब भी धन उपलब्ध हो, कर्मचारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वेतन-आदेश के खिलाफ चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय ने कारखाना के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया

-

इस बीच, कारख़ाने की कुर्क की गई संपत्तियों में से एक को अपीलार्थी-बैंक द्वारा नीलाम किया गया और बेचा गया और अपीलार्थी-बैंक द्वारा कारख़ाने से देय राशि के लिए विनियोजित आय-अपीलार्थी-बैंक, प्रतिवादी संख्या के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने से व्यथित। 1 3 को दायर रिट याचिका-

इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, सोसायटी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने कारखाना के परिसमापन का निर्देश दिया-अंत में, उच्च

न्यायालय ने एस के संदर्भ में रिट याचिका का निपटारा किया। 50 एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम के तहत, कारखाना और उसके प्रबंध निदेशक से राशि की वसूली के लिए कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था-इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कारखाना के परिसमापन पर, कंपनी अधिनियम, 1956 का s.529A लागू हुआ, जिससे बिक्री आय के संबंध में अन्य सभी बकाया राशि पर कर्मचारियों के बकाया राशि को प्राथमिकता दी गई-इसके आलोक में, यह माना गया कि कलेक्टर बिक्री आय से राशि की वसूली कर सकता है।

अपीलार्थी द्वारा न्यास में आयोजित-बैंक-इस आदेश के खिलाफ दायर तत्काल अपील-आयोजितः कंपनी अधिनियम का s.529A, जो श्रमिकों को अन्य सभी ऋणों पर बकाया राशि को प्राथमिकता देता है, एस को देखते हुए तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। 167 सोसायटी अधिनियम जो सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियों पर कंपनी अधिनियम की प्रयोज्यता को रोकता है-यह एस से स्पष्ट है। 50 एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम और एस. 169 भूमि राजस्व संहिता में कहा गया है कि कर्मचारियों का बकाया, जिसके संबंध में एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम के अध्याय VI के तहत एक अदालत द्वारा आदेश दिया गया है, उसी तरह से वसूल किया जा सकता है जैसे भूमि राजस्व का बकाया।

भूमि राजस्व के बकाया के बीच एक भौतिक अंतर है

भूमि के कारण देय, और भूमि राजस्व के बकाया के अलावा अन्य राशियाँ, लेकिन भूमि के बकाया के रूप में उसी तरीके से वसूली योग्य। 169 (1) दावों की पूर्व श्रेणी से संबंधित है और उन्हें अन्य सभी दावों पर भूमि पर सर्वोपरि शुल्क बनाता है-दूसरी ओर

हाथ, s.169 (2) बाद की श्रेणी से संबंधित है और उन्हें केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता देता है-तत्काल मामले के तथ्यों में, एस के तहत जारी वसूली प्रमाण पत्र। 50 एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम केवल कर्मचारियों के बकाया को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य बनाता है-इस प्रकार, ऐसे कर्मचारियों का बकाया एस द्वारा कब्जा किए गए दावों की श्रेणी में आएगा। 169 (2) , और केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता ले सकते हैं। 50 एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की कमी है

स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के बकाया को पहला शुल्क बनाते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के बकाया को अपीलकर्ता बैंक के दावों पर प्राथमिकता दी जाती है, जो एक सुरक्षित लेनदार है-इस प्रकार, भूमि राजस्व संहिता और एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की योजना के तहत, कर्मचारियों के

देय राशि अपीलार्थी के दावे पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकती-बैंक

-

साथ ही, अपीलार्थी-बैंक को बिक्री आय पर कोई सर्वोपरि शुल्क भी नहीं मिलता है-इसके बजाय, एस के अनुसार। 13 (7) सर्फेसी अधिनियम के अनुसार, बिक्री पत्र और बिक्री प्रमाण पत्र एक अनुबंध जो उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित वितरण के क्रम को विस्थापित करता है-इन दस्तावेजों का संचयी प्रभाव महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड है।

वी. बाबूलाल लेडी

कि अपीलकर्ता-बैंक को नीलाम की गई संपत्ति से बिक्री आय में से कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करना चाहिए-इस हद तक, औद्योगिक न्यायालय द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र को निष्पादित किया जा सकता है। अपीलार्थी के विरुद्ध-महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 - s.167-महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और ट्रेड यूनियनों की रोकथाम और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम, 1971 - एस. 50-कंपनी अधिनियम - s.529A।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002: धारा 13 (4)-सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त धन को वितरित करने का तरीका - एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) एक सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की अनुमति देती है, जिसमें उन्हें बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित करने का अधिकार भी शामिल है। 13 (7) — - इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, ऐसी आय सुरक्षित लेनदार द्वारा न्यास में रखी जाती है और इसे पहले बिक्री के संबंध में किए गए लागत, शुल्क और खर्चों के भुगतान के लिए लागू किया जाना चाहिए; दूसरा, सुरक्षित लेनदार के बकाया के लिए; और अंत में, शेष धन के हकदार किसी भी व्यक्ति के लिए।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 167 निम्नलिखित की प्रयोज्यता पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगाती है -

सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियों के लिए कंपनी अधिनियम। यह देखते हुए कि कारखाना एक सहकारी समाज था

उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत, धारा 167 पूरी तरह से लागू है, और उच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा करने में एक गंभीर त्रुटि की है

कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए। इसलिए कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते। कारखाना के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता का दावा करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए का उपयोग करें। [पैरा 7,8] [496-डी]

2.1 क्या कर्मचारियों के बकाया को प्राथमिकता दी जा सकती है

भूमि के बकाया के रूप में वसूली योग्य होने के कारण अन्य दावे

राजस्व। एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 और भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 से यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों का बकाया

जिसके संबंध में एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम के अध्याय VI के तहत एक न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, [2019] 14 एस. सी. आर. में वसूली योग्य है।

2.2 इस मामले के तथ्यों में, एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी वसूली प्रमाण पत्र केवल भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य कर्मचारियों का बकाया। इस प्रकार, ऐसे कर्मचारियों का बकाया धारा 169 (2) द्वारा प्राप्त दावों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता ले सकता है। इसके अलावा, पहले केवल स्पष्ट रूप से वैधानिक रूप से बनाया गया

केंद्रीय और राज्य कानूनों के तहत शुल्क सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदारों के दावों पर वरीयता ले सकते हैं। यह केवल भूमि राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है। यह देखते हुए कि एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के बकाया को 'पहले' बनाने से कम है। 'प्रभार', यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के बकाया को अपीलार्थी-बैंक, जो एक सुरक्षित लेनदार है, के दावों पर प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार, भूमि राजस्व संहिता और एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की योजना के तहत, कर्मचारियों का बकाया बैंक के दावे पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलकर्ता-बैंक स्वचालित रूप से सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय पर एक सर्वोपरि शुल्क रखता है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की योजना के तहत, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि विशेष रूप से बनाए गए पहले शुल्क के मुकाबले बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में प्राथमिकता बनाई गई है।

किसी अन्य कानून के तहत। [पैरा 10.3,10.4 और 11] [499-डी-एफ]

3.1 प्राप्त धन को वितरित करने का तरीका

सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से सुरक्षित लेनदार। सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) एक सुरक्षित लेनदार को कब्जा करने की अनुमति देती है। ऋण लेने वाले की सुरक्षित परिसंपत्तियों का, जिसमें अधिकार भी शामिल है।

उन्हें बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करना। ऐसी बिक्री से प्राप्त आय का क्या किया जा सकता है, यह धारा 13 (7) के तहत प्रदान किया गया है। इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, ऐसी आय महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास होती है।

वी. बाबूलाल लेडी

न्यास में सुरक्षित लेनदार और बिक्री के संबंध में किए गए खर्चों, शुल्कों और खर्चों के भुगतान के लिए पहले लागू किया जाना है; दूसरा, सुरक्षित लेनदार के बकाया के लिए; और अंत में, शेष धन के हकदार किसी भी व्यक्ति के लिए। वर्तमान मामले के तथ्यों में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी-बैंक ने 13.06.2005 पर कारखाने की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। बाद में, आईडी1 दिनांकित बिक्री पत्र द्वारा, अपीलकर्ता-बैंक ने उक्त संपत्ति को एक मेसर्स विदर्भ रियल्टीज प्राइवेट को बेचने की पेशकश की थी। लि. रुपये के कुल विचार के लिए। 14.10 करोड़। विशेष रूप से, इस पत्र में कहा गया है कि अपीलकर्ता-बैंक कर्मचारियों के बकाया की जिम्मेदारी लेगा, और वैधानिक देनदारियों सहित अन्य सभी देनदारियां पूरी तरह से खरीदार पर निर्भर करेंगी। इस पत्र के बाद एक बिक्री प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2010 दर्ज किया गया था जिसमें अपीलकर्ता-बैंक द्वारा मेसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर लिमिटेड के पक्ष में संपत्ति की बिक्री दर्ज की गई थी। 14.10 करोड़।

दिनांकित 14.09.2010 बिक्री प्रमाणपत्र में उल्लिखित स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पाया गया है कि मैसर्स विदर्भ रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड के दिनांकित बिक्री पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम बदलकर मैसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया था जैसा कि मैसर्स आईडी1 पर अधिसूचित किया गया था। इसके बाद मेसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। और इसका नाम बदलकर मेसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर लिमिटेड कर दिया गया, जो बिक्री प्रमाण पत्र पर दर्शाए गए खरीदार का नाम भी है। मार्च के बीच ये अंतरिम घटनाक्रम

2010 और सितंबर 2010 में बताया गया कि क्यों 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र और 14.09.2010 पर जारी अंतिम बिक्री प्रमाण पत्र अलग-अलग नामों को दर्शाते हैं। हालाँकि, चूंकि यह केवल कंपनी के नाम में परिवर्तन का मामला है, इसलिए दोनों संस्थाएं एक ही हैं और बाद में खरीदार, प्रतिवादी संख्या 5 (कंपनी का उत्तराधिकारी)

08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र का। [पारस 11,12,13,13.1] [500 डी; 501-बी-एच; 502-ए-बी] 3.2 इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र एक बाहरी दस्तावेज है और इस पर [2019] 14 एस. सी. आर. पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

बिक्री प्रमाणपत्र की व्याख्या करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिक्री प्रमाणपत्र विशेष रूप से बिक्री पत्र का उल्लेख करते हुए प्रदान करता है कि

खरीदार "संपत्ति पर वर्तमान में मौजूद सभी बाधाओं को स्वीकार करता है और भविष्य में उत्पन्न हो सकता है और खरीदार द्वारा स्वीकार किए गए बिक्री पत्र के अनुसार उसी का भुगतान करने के लिए सहमत होता है"। इस तरह के शब्दों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों का इरादा था कि 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र को बिक्री प्रमाण पत्र के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए क्योंकि यह

ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिक्री प्रमाणपत्र का एक हिस्सा है। जब 14.09.2010 दिनांकित बिक्री प्रमाणपत्र का समग्र पठन और

08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र लिया गया है, यह पता चलता है कि हालांकि खरीदार ने संपत्ति पर सभी बोझों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसमें कर्मचारियों के बकाया को शामिल नहीं किया गया था।

अपीलार्थी द्वारा विशिष्ट वचन पत्र-बैंक कि वह उन्हें भुगतान करेगा। यह देखते हुए कि प्रमाण पत्र सीधे पूर्व बिक्री पत्र का संदर्भ देता है, इसकी शर्तों को लागू करना आवश्यक है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्ष बैंक द्वारा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने और बाद में खरीदार द्वारा अन्य देनदारियों का निपटान करने पर सहमत हुए थे। सांविधिक देनदारियों सहित। जब इस संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिक्री प्रमाणपत्र और बिक्री पत्र एक अनुबंध का गठन करते हैं। [पैरा 13.2] [502-सी-ई]

4.1 सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (7) के तहत बिक्री आय के वितरण की योजना। धारा 13 (7) में तरीका निर्धारित किया गया है

जिसमें धारा 13 (4) के तहत अपनी कार्रवाई के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त धन को वितरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वितरण का ऐसा तरीका केवल एक के अभाव में लागू होता है

इसके विपरीत अनुबंध करें। इस मामले में, बिक्री प्रमाणपत्र और बिक्री

पत्र एक अनुबंध बनाता है, जिसका संचयी प्रभाव एक समझौता है कि केवल कर्मचारियों के बकाया का निपटान किया जाएगा

4.2 अपीलार्थी-बैंक द्वारा अपने काउंटर में दिया गया स्पष्टीकरण-उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा कि बिक्री पत्र द्वारा दिनांक 08.03.2010 ने केवल महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रति दायित्व स्वीकार किया था।

वी. बाबूलाल लेडी

कर्मचारियों के भविष्य निधि का भुगतान अस्थिर है। यह स्पष्टीकरण केवल अपीलार्थी द्वारा अपने दायित्व से बचने का एक बाद का प्रयास है। यदि अपीलार्थी वास्तव में करना चाहता था

भविष्य निधि के प्रति अपने दायित्व को सीमित करते हुए, उसने बिक्री पत्र में स्पष्ट रूप से कहा होगा, जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच बिक्री के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है।

कर्मचारियों के संबंध में देनदारियाँ, जैसे भविष्य निधि, उपदान, बोनस आदि, प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा वहन की जानी चाहिए। ए. अपीलार्थी-बैंक द्वारा बिक्री अनुबंध की व्याख्या करने के बाद के प्रयास को इस तरह से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है जिससे भविष्य निधि बकाया के लिए उसके दायित्व का दायरा कम हो जाए। [पैरा 13.4 और 13.5] [503-बी-एफ]

SICOM लिमिटेड v. महाराष्ट्र राज्य और अन्न. , (2010) 6 बॉम सी. आर. 749; सिटी को-ऑप क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड और ए. एन. आर.

वी. सातविक इलेक्ट्रिक कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक।

(2019) 4 बम सी. आर. 274-स्वीकृत। बिल्डर आपूर्ति निगम बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एयर

1965 एससी 1061: [1965] एस. सी. आर. 289 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

(2010) 6 बम सी. आर. 749

पै

रा 10.1

मंजूरी मिल गई।

[1965] एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पैरा

10.2 [2019] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2019) 4 बम सी. आर. 274

पै

रा 10.2

मंजूरी मिल गई।

[2009] 3 एससीआर 735

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 232

2016 .

उच्च न्यायालय के 01.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की रिट याचिका संख्या 3879 में बॉम्बे, नागपुर पीठ में न्यायिक न्यायालय।

बी. एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. वाई. देशमुख, सुश्री मंजीत कृपाल,

चिनमय देशपांडे, गीत आहूजा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , धर्मेंद्र कुमार सिन्हा,

सुश्री श्वेता सैंड, अर्पित प्रकाश, प्रकाश मेघे, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री लक्ष्मी मालेवार, सुश्री अनघा एस. देसाई, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. यह अपील 01.12.2015 द्वारा पारित निर्णय से उत्पन्न होती है।

डब्ल्यू. पी. सं. 3879/2012 में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ। विवादित फैसले के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि

इसमें अपीलार्थी के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करना, जिससे भंडारा पीठ, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र द्वारा पारित दिनांक 08.08.2011 के आदेश में संशोधन किया जा सके।

2. इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत,

1960 (इसके बाद 'सोसायटी अधिनियम'), प्रतिवादी संख्या 6, वैनगंगा सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड (इसके बाद 'कारखाना') ने अपीलकर्ता-बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त की थी और अपनी संपत्तियों को गिरवी रखा था।

लौटें। जब उसने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की, तो अपीलकर्ता बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद) की धारा 13 (2) के तहत एक नोटिस जारी करके 10.02.2005 पर वसूली की कार्यवाही शुरू की। ' सरफेसी अधिनियम ')। बाद में, 13.06.2005 पर, अपीलकर्ता-बैंक ने कारखाना की गिरवी रखी गई संपत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 (4)।

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी. बाबूलाल लेडी [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

2.2 अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण, आई. डी. 1 पर, कारखाना ने अपने कर्मचारियों को नोटिस जारी कर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

बिना वेतन डब्ल्यू. ई. एफ. 24.02.2006 के छुट्टी। इसे चुनौती दी गई थी कारखाना कर्मचारियों के प्रतिनिधि (प्रत्यर्थी संख्या। 1 से 3) यू. एल. पी. ए. सं. 65/2006 में महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम') की अनुसूची IV की धारा 9 और 10 के साथ पठित धारा 28 के तहत दायर किया गया है। दिनांक 24.08.2006 के आदेश के माध्यम से, औद्योगिक न्यायालय ने नोटिस को रद्द कर दिया और कहा कि यह एक अनुचित श्रम प्रथा के बराबर है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि कारखाना ने जुलाई 2003 से अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है, औद्योगिक न्यायालय ने कारखाना को निर्देश दिया कि वह अपने पास उपलब्ध किसी भी धन से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अवैतनिक वेतन का भुगतान करे।

2.3 इस आदेश के आधार पर, प्रतिवादी सं। 1 3 ने एक विविध आवेदन दायर किया, यू. एल. पी. ए. सं. 5/2007, एक जारी करने की मांग करते हुए कारखाना, इसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र

(प्रतिवादी संख्या 4), और अपीलकर्ता-एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 के तहत बैंक। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी को पहली बार इस कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दिनांकित 27.04.2007 आदेश के माध्यम से, औद्योगिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता बैंक के खिलाफ कारखाना कर्मचारियों के अवैतनिक वेतन के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। इसने अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए कारखाना और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से भी इनकार कर दिया।

कारख़ाना से। हालांकि, कारखाना को अवैतनिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया था

कर्मचारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वेतन, जब और जब धन उपलब्ध होना था।

यह केवल कारखाना के खिलाफ किया जा सकता था और अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ नहीं, क्योंकि बैंक और कर्मचारियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि औद्योगिक न्यायालय ने वसूली प्रमाण पत्र के अनुदान से इनकार करने के लिए कारखाना के पास धन की अनुपलब्धता पर भरोसा करने में गलती की थी। इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करना आवेदकों की पात्रता है न कि नियोक्ता की वित्तीय स्थिति। इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय ने कारखाना और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के अनुसरण में, औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 08.08.2011 के आदेश के माध्यम से, कारखाना और उसके [2019] 14 एस. सी. आर. के खिलाफ Rs.13,89,84,334 का वसूली प्रमाण पत्र जारी करके यू. एल. पी. ए. संख्या 5/2007 का निपटारा किया।

प्रबंध निदेशक। हालांकि, अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

एक पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड को बैंक। (उत्तरदाता सं. 5 यहाँ)। इस बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुसार, खरीदार ने बिक्री पत्र में सहमति के अनुसार संपत्ति पर सभी बोझों को स्वीकार किया था। यह पाया गया है कि इस बिक्री से प्राप्त आय को विनियोजित किया गया था अपीलार्थी-कारखाना से देय राशि के लिए बैंक।

2.6 साथ ही, वसूली जारी न किए जाने से व्यथित

अपीलार्थी के विरुद्ध प्रमाण पत्र, प्रत्यर्थी सं। 1 3 फाइल किए गए डब्ल्यू. पी. नंबर. 3879/2012. इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, समिति अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारखाना के परिसमापन का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया गया था। अंत में, दिनांकित 01.12.2015 के विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. नं. 3879/2012 का निपटारा किया। यह देखा गया कि एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर को जारी किया जाना चाहिए था।

कारखाना और उसके प्रबंध निदेशक से राशि की वसूली। इस प्रकार, औद्योगिक न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि प्रमाण पत्र पहले कलेक्टर को जारी किया जाना है, जो फिर वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ेगा। इस सवाल पर कि क्या कलेक्टर कारखाने की कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री आय से ऐसी वसूली कर सकता है, यह माना गया कि नीलामी बिक्री के बाद, अपीलकर्ता-बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (7) के अनुसार ट्रस्ट में आय रखी और उन पर पहला प्रभार नहीं था। इसके अलावा, यह पाया गया कि 19.01.2013 पर कारखाना के परिसमापन पर, धारा 529A

कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'कंपनी अधिनियम') लागू हुआ, जिससे बिक्री आय के संबंध में अन्य सभी बकाया राशि पर कर्मचारियों के बकाया को प्राथमिकता दी गई। इसके आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कलेक्टर अपीलार्थी-बैंक द्वारा न्यास में रखी गई बिक्री आय से Rs.13,89,84,334 की उक्त राशि की वसूली कर सकता है। इस आदेश के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है।

3. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

4. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए को धारा के रूप में लागू करने में गलती की।

167 सोसायटी अधिनियम की धारा विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की कंपनियों के आवेदन पर रोक लगाती है।

वी. बाबूलाल लेडी [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

सहकारी समितियों के लिए कार्य करें, जैसा कि यहाँ के कारखाना के मामले में है। किसी भी मामले में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए को गलत तरीके से लागू किया गया था, क्योंकि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (9) के प्रावधान के अनुसार प्रतिभूति की बिक्री के समय कंपनी को "परिसमापन में" होना आवश्यक है।

धारा 529 ए लागू करने के लिए परिसंपत्तियाँ। यह देखते हुए कि कारखाना केवल चला गया

2010 में अपनी संपत्तियों की बिक्री के बाद, उन्होंने तर्क दिया कि प्रावधान गलत तरीके से लागू किया गया था। इसके आलोक में, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो कर्मचारियों के बकाया को सर्वोपरि शुल्क बनाता है, और अपीलकर्ता-बैंक, एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते,

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (7) के अनुसार नीलामी बिक्री से प्राप्त आय पर वरीयता दी जानी चाहिए। यह भी उनका तर्क था कि अवैतनिक वेतन का दावा अपीलार्थी के खिलाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अपीलार्थी-बैंक और उक्त कर्मचारियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। 5. दूसरी ओर, उत्तरदाता संख्या के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। 1 3 ने एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके तहत औद्योगिक न्यायालय द्वारा 08.08.2011 पर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह देखते हुए कि यह प्रावधान कर्मचारियों के बकाया को भूमि राजस्व के बकाया के समान ही वसूली योग्य बनाता है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (इसके बाद 'भूमि राजस्व संहिता') की धारा 169 (1) के लिए संदर्भित किया, जो भूमि राजस्व के बकाया को भूमि पर एक सर्वोपरि शुल्क बनाता है। इस पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य कर्मचारियों के बकाया को नीलामी बिक्री से प्राप्त आय से निपटने के दौरान अपीलकर्ता-बैंक के दावे पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. इसके अलावा, वैनगंगा सहकारी सखार कारखाना मजदूर संघ (उत्तरदाता संख्या 8) के विद्वान वकील ने इस पर भरोसा किया

बिक्री पत्र दिनांक 08.03.2010, जो अपीलार्थी बैंक द्वारा कारखाना की संपत्तियों की बिक्री से पहले जारी किया गया था। इस पत्र में, अपीलकर्ता-बैंक ने कहा था कि वह इसकी जिम्मेदारी लेगा कर्मचारियों का बकाया। इसके आलोक में, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को कर्मचारियों के बकाया के भुगतान के प्रति अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। संपत्ति के बाद के खरीदार के लिए विद्वान वकील

कर्मचारियों के देय राशि के भुगतान का दायित्व अपीलार्थी पर लगाया जाना चाहिए। 7. उठाए गए तर्कों और अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या [2019] 14 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कारखाना की सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय के संबंध में सुरक्षित लेनदार के दावे पर कर्मचारियों के बकाया को प्राथमिकता दी जा सकती है।

8. शुरुआत में, हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आवेदन करने में गलती की

इस मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए। इस संबंध में सोसायटी अधिनियम की धारा 167 का उल्लेख करना उचित होगाः

" 167. कंपनी अधिनियम लागू नहीं होगा-संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान पंजीकृत या मानित समितियों पर लागू नहीं होंगे।

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत। ”
यह स्पष्ट है कि धारा 167 पर एक एक्सप्रेस बार बनाता है

कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए। इस प्रकार, कर्मचारी कारखाना के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता का दावा करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 9. इस पृष्ठभूमि में, विचार करने के लिए अगला सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों का बकाया अन्य दावों पर प्राथमिकता ले सकता है

भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होने का गुण। एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 और भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 हैं - इस संबंध में प्रासंगिक। एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की धारा 50 इस प्रकार हैः

" 50. नियोक्ता से देय धन की वसूली-जहां कोई हो एक आदेश के तहत नियोक्ता से एक कर्मचारी को पैसा देय है।

अध्याय VI के अधीन न्यायालय द्वारा पारित, कर्मचारी स्वयं या इस निमित्त लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, या कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसका समनुदेशिती या उत्तराधिकारी,

वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके देय धन की वसूली के लिए न्यायालय में आवेदन करें, और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि धन बकाया है, तो वह कलेक्टर को राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो भूमि के बकाया के समान ही राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ेगा।

राजस्व।

" 9 महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी. बाबूलाल लेडी [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 169. राज्य सरकार के दावों को प्राथमिकता दी जाती है अन्य सभी-(1) भूमि के कारण देय भूमि राजस्व का बकाया भूमि पर और प्रत्येक भाग पर एक सर्वोपरि प्रभार होगा।

और उसके विरुद्ध किसी भी अन्य ऋण, मांग या दावे पर वरीयता होगी, चाहे वह बंधक, निर्णय डिक्री, निष्पादन या कुर्की के संबंध में हो, या अन्यथा, चाहे जो भी हो।

कोई भूमि या उसका धारक। (2) भूमि राजस्व के बकाया के अलावा किसी भी धन के लिए राज्य सरकार के दावे को, लेकिन इस अध्याय के प्रावधानों के तहत राजस्व मांग के रूप में वसूली योग्य, किसी भी भूमि या उसके धारक के खिलाफ सभी असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता होगी।

10. इन प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों का बकाया जिसके संबंध में अदालत द्वारा आदेश दिया गया है

एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम के अध्याय VI के तहत भूमि राजस्व के बकाया की तरह ही वसूली की जा सकती है। यह प्रतिवादी संख्या के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया था। 1 3 कि इस तरह का उपचार

भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 (1) को देखते हुए भूमि राजस्व के बकाया के रूप में कर्मचारियों का बकाया इसे अन्य सभी दावों के लिए सर्वोपरि शुल्क बनाता है। जवाब में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि तत्काल मामला भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 (2) के तहत आता है, जो भूमि राजस्व के बकाया के अलावा अन्य धन से संबंधित है, लेकिन जो राजस्व मांग के रूप में वसूली योग्य है। चूंकि धारा 169 (2) केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का दावा, एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, अभी भी भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य कर्मचारियों के बकाया पर प्राथमिकता होगी।

10.1 यह समझना महत्वपूर्ण है कि भूमि के कारण देय भूमि राजस्व के बकाया और भूमि राजस्व के बकाया के अलावा अन्य राशियों के बीच एक भौतिक अंतर है, लेकिन भूमि के बकाया के समान ही वसूली योग्य है। भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 की उप-धाराओं (1) और (2) को बारीकी से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 169 (1) पूर्व श्रेणी के दावों से संबंधित है और उन्हें भूमि पर सर्वोपरि शुल्क बनाती है।

अन्य सभी दावे। दूसरी ओर, धारा 169 (2) बाद की श्रेणी से संबंधित है और उन्हें केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता देती है। 10.2 एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड बनाम में भी इस अंतर का उल्लेख किया गया है। महाराष्ट्र राज्य और अन्र. , (2010) 6 बम सीआर 749, जहाँ एक डिवीजन [2019] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता स्पष्ट अंतर करती है भूमि राजस्व के रूप में वसूली योग्य राशि और भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि के बीच। जो सर्वोच्च शुल्क बनाता है वह वह राशि है जो भूमि राजस्व की राशि है न कि वह राशि जो भूमि राजस्व के रूप में वसूली योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बिल्डर आपूर्ति निगम के मामले में अपने फैसले में, ऊपर उल्लिखित, हमारी राय में, स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद

बिल्डर आपूर्ति निगम के मामले में टिप्पणियाँ, हमारी राय में, प्रासंगिक हैं। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

" हमने इस निर्णय का उल्लेख किया है, क्योंकि यह सामने आता है

द्वारा निर्धारित प्रावधानों का वास्तविक स्वरूप एस. 46 (2) . धारा 46 (2) के सिद्धांत से संबंधित नहीं है

क्राउन ऋणों की प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं है; यह केवल वसूली का प्रावधान करता है।

किसी निर्धारिती से देय कर की बकाया राशि जैसे कि

भूमि राजस्व का बकाया। इन प्रावधानों को परिवर्तित नहीं कहा जा सकता है।

भूमि राजस्व के बकाया में कर का बकाया, यह सब

ऐसा करने का उद्देश्य यह इंगित करना है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद

आय-कर अधिकारी से कलेक्टर को आगे बढ़ना होता है

विचाराधीन बकाया राशि की वसूली करें जैसे कि उक्त बकाया राशि

भूमि राजस्व का बकाया। हम पहले ही देख चुके हैं कि अन्य

भूमि राजस्व के बकाया की वसूली के लिए वैकल्पिक उपाय

धाराओं की उप-धारा (3) और (5) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 46. बनाने में

कर के बकाया की वसूली के लिए एक प्रावधान, यह नहीं कहा जा सकता है

वह एस। 46 प्राथमिकता के सिद्धांत से संबंधित है या प्रदान करता है

वह एस। 46 शब्दों में उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग को विस्थापित करता है वर्तमान कार्यवाही में "।

(जोर दिया गया)

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी. बाबूलाल लेडी [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

धारा की उप-धारा (1) और (2) के दायरे में यह अंतर

9 भूमि राजस्व संहिता को फिर से उच्च न्यायालय द्वारा नोट किया गया था

ओम्बे इन सिटी को-ऑप क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. आधिकारिक

क्वाइडेटर ऑफ सातविक इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड (2019) 4 बॉम सी. आर.

74 .

10.3 जब हम तत्काल मामले के तथ्यों को देखते हैं, तो यह देखा जाता है कि एम. आर. टी. यू. की धारा 50 के तहत जारी वसूली प्रमाण पत्र और पी. यू. एल. पी. अधिनियम केवल कर्मचारियों के बकाया को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य बनाता है। इस प्रकार, पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारियों का बकाया निम्नलिखित श्रेणी में आएगाः

धारा 169 (2) द्वारा कब्जा किए गए दावे, और केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता ले सकते हैं।

10.4 इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम. केरल राज्य, (2009) 4 एस. सी. सी. 94, केवल केंद्र और राज्य के कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से बनाए गए वैधानिक पहले आरोप ही ले सकते हैं।

के अधीन सुरक्षित लेनदारों के दावों पर वरीयता

सरफेसी अधिनियम। यह केवल वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है। भूमि राजस्व के बकाया के रूप में देय राशि। यह देखते हुए कि धारा 50

कर्मचारियों का बकाया 'पहला शुल्क' है, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा बकाया अपीलार्थी-बैंक, जो एक सुरक्षित लेनदार है, के दावों को प्राथमिकता दें। इस प्रकार, हम पाते हैं कि भूमि राजस्व संहिता और एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम की योजना के तहत, कर्मचारियों का बकाया

अपीलार्थी-बैंक के दावे पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकते।

11. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता-बैंक स्वचालित रूप से सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय पर सर्वोपरि शुल्क रखता है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की योजना के तहत, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पहले शुल्क के मुकाबले बैंकों, वित्तीय स्थिति और अन्य सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में प्राथमिकता बनाई गई है।

पारिस्थितिक रूप से किसी अन्य क़ानून के तहत बनाया गया। यह पकड़ा गया है

केंद्रीय बैंक (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निम्नानुसारः

" 126. डी. आर. टी. अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम को लागू करते समय, संसद इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से अवगत थी जिसमें राज्य के बकाया की प्राथमिकता को मान्यता दी गई

थी। यदि संसद उधारकर्ता की संपत्ति पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में पहला प्रभार बनाने का इरादा रखती है, तो उसने [2019] 14 एस. सी. आर. की धारा 529-ए जैसे प्रावधान को शामिल किया होगा।

कंपनी अधिनियम या ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 11 (2) और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक घोषणाओं की श्रृंखला के बावजूद, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों का बकाया होना चाहिए

के मामले में राज्य के वैधानिक प्रथम प्रभार पर प्राथमिकता

बिक्री कर आदि के बकाया की वसूली। लेकिन तथ्य यह है कि बात यह है कि इनमें से किसी में भी ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है।

असाधारण शक्ति प्रदान किए जाने के बावजूद ये अधिनियम

सुरक्षित लेनदारों को अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने और उनका निपटान करने के लिए। इस चूक का कारण यह प्रतीत होता है कि नई कानूनी व्यवस्था में निजी कंपनियों को सुरक्षित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है।

इस प्रकार, एम. आर. टी. यू. और पी. यू. एल. पी. अधिनियम के तहत कर्मचारियों के बकाया के पक्ष में बनाए गए सर्वोपरि शुल्क के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता-बैंक को एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत स्वतः ही पहला शुल्क मिल जाता है।

12. इस संदर्भ में, तत्काल मामले के लिए जो प्रासंगिक हो जाता है वह है

वितरण के तरीके के संबंध में सरफेसी अधिनियम

प्रतिभूति की बिक्री के माध्यम से प्रतिभूति लेनदार द्वारा प्राप्त एक

एस. सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 के निम्नलिखित भाग हैं -

इस संबंध में चींटीः

13. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन-(4) मामले में

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उधारकर्ता अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित लेनदार अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित एक या अधिक उपायों का सहारा ले सकता है, अर्थात्ः — (क) उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेना, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है।

XXX

(7) जहां उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत किसी उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, वहां सभी लागतें, शुल्क और खर्च

जो सुरक्षित लेनदार की राय में, उसके द्वारा उचित रूप से व्यय किया गया है या कोई आनुषंगिक व्यय, उधारकर्ता से वसूली योग्य होगा और जो धन सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसके विपरीत

किसी अनुबंध के अभाव में, उसके द्वारा ट्रस्ट में रखा जाएगा, जिसे लागू किया जाएगा, पहला, ऐसी लागतों, शुल्कों और खर्चों के भुगतान में और दूसरा, सुरक्षित लेनदार और शेष महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के बकाया के निर्वहन में।

वी. बाबूलाल लेडी [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

इस प्रकार प्राप्त धन का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को उसके अधिकारों और हितों के अनुसार किया जाएगा।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) एक सुरक्षित लेनदार को ऋणकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की अनुमति देती है, जिसमें उन्हें बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित करने का अधिकार भी शामिल है। ऐसी बिक्री से प्राप्त आय का क्या किया जा सकता है, यह धारा 13 (7) के तहत प्रदान किया गया है। इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, ऐसी आय प्रतिभूति प्राप्त व्यक्ति के पास होती है।

न्यास में लेनदार और उन्हें पहले लागतों के भुगतान के लिए लागू किया जाना है,

बिक्री के संबंध में किए गए शुल्क और खर्च; दूसरा, सुरक्षित लेनदार के बकाया के लिए; और अंत में, अवशिष्ट धन के हकदार किसी भी व्यक्ति के लिए।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी-बैंक ने

13.06.2005 पर कारखाना की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बाद में, आईडी1 दिनांकित बिक्री पत्र के माध्यम से, अपीलकर्ता-बैंक ने उक्त संपत्ति को एक मेसर्स विदर्भ रियल्टीज प्राइवेट को बेचने की पेशकश की थी। लिमिटेड कुल के लिए

रुपये का विचार। 14.10 करोड़। विशेष रूप से, इस पत्र में कहा गया है कि अपीलकर्ता-बैंक कर्मचारियों के बकाया की जिम्मेदारी लेगा, और वैधानिक देनदारियों सहित अन्य सभी देनदारियां पूरी तरह से खरीदार पर निर्भर करेंगी। इस पत्र के बाद एक बिक्री प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2010 दर्ज किया गया था जिसमें अपीलकर्ता-बैंक द्वारा मेसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर लिमिटेड के पक्ष में संपत्ति की बिक्री दर्ज की गई थी। 14.10

करोड़।

13.1 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (7) के अनुसार बिक्री आय के वितरण की प्रयोज्यता पर विचार करने से पहले, हम ध्यान देते हैं कि इस न्यायालय द्वारा 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र दिनांकित 14.09.2010 में उल्लिखित कंपनी की तुलना में किसी अलग इकाई को संबोधित किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पाया गया है कि मैसर्स विदर्भ रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड के दिनांकित बिक्री पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम बदलकर मैसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया था जैसा कि मैसर्स आईडी1 पर अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, आईडी1 पर, मेसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर मेसर्स वैनगंगा शुगर एंड पावर लिमिटेड कर दिया गया, जो बिक्री प्रमाण पत्र पर इंगित खरीदार का नाम भी है। मार्च 2010 और सितंबर [2019] 14 एस. सी. आर. के बीच ये अंतरिम घटनाक्रम।

13.2 इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र एक बाहरी दस्तावेज है और इसकी व्याख्या करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिक्री प्रमाण पत्र। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिक्री प्रमाणपत्र विशेष रूप से बिक्री पत्र का उल्लेख करते हुए यह प्रदान करता है कि खरीदार "संपत्ति पर वर्तमान में मौजूद सभी बोझों को स्वीकार करता है और

भविष्य में उत्पन्न हो सकता है और खरीदार द्वारा स्वीकार किए गए बिक्री पत्र के अनुसार भुगतान करने के लिए सहमत हो सकता है। इस तरह के शब्दों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि पक्षों का इरादा था कि बिक्री पत्र दिनांकित था

08.03.2010 बिक्री प्रमाणपत्र के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिक्री प्रमाणपत्र का एक हिस्सा है। जब 14.09.2010 दिनांकित बिक्री प्रमाणपत्र का समग्र पठन और 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र लिया गया है, यह पता चलता है कि हालांकि खरीदार ने संपत्ति पर सभी बोझों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसमें अपीलकर्ता-बैंक द्वारा विशिष्ट वचन के मद्देनजर कर्मचारियों का बकाया शामिल नहीं था कि वह उन्हें भुगतान करेगा। यह देखते हुए कि प्रमाण पत्र सीधे पूर्व बिक्री पत्र का संदर्भ देता है, इसकी शर्तों को लागू करना आवश्यक है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्षकार बैंक द्वारा कर्मचारियों को भुगतान करने पर सहमत हुए थे।

देय राशि और बाद में खरीदार वैधानिक देनदारियों सहित अन्य देनदारियों का निपटान करता है। जब इस संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिक्री प्रमाणपत्र और बिक्री पत्र एक अनुबंध का गठन करते हैं। 13.3 यह हमें सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (7) के तहत बिक्री आय के वितरण की योजना पर लाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह प्रावधान उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें धारा 13 (4) के तहत अपनी कार्रवाई के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त धन को वितरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वितरण का ऐसा तरीका केवल इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में लागू होता है। इस मामले में, बिक्री प्रमाण पत्र और बिक्री पत्र एक अनुबंध बनाते हैं, जिसका संचयी प्रभाव एक समझौता है कि केवल

कर्मचारियों के बकाया का निपटान अपीलार्थी-बैंक द्वारा किया जाएगा और अन्य सभी देनदारियों का निपटान बाद के खरीदार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि पक्षों के बीच अनुबंध ई महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से अलग है।

वी. अबुलाल लेडी [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

धारा 13 (7) के तहत निर्धारित वितरण का आदेश और इसके विपरीत एक अनुबंध का गठन करता है, जो आवश्यक रूप से होना चाहिए प्रभाव दिया जाता है।

13.4 इस संबंध में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता-बैंक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी-हलफनामे में दिया गया स्पष्टीकरण कि 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र द्वारा उसने केवल दायित्व स्वीकार किया था

अस्थिर। अभिलेख को देखने पर, यह स्पष्ट है कि यह स्पष्टीकरण केवल अपीलार्थी द्वारा अपने दायित्व से बचने का एक बाद का प्रयास है। यदि अपीलार्थी वास्तव में भविष्य निधि के प्रति अपने दायित्व को सीमित करने का इरादा रखता है, तो उसने बिक्री पत्र में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा होगा, जो अपीलार्थी और खरीदार के बीच बिक्री के नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस बिक्री में प्रवेश करते समय, अपीलार्थी औद्योगिक न्यायालय के आदेशों को देखते हुए बैंक को कारखाने के कर्मचारियों के बकाया वेतन के बारे में अच्छी तरह से पता था

दिनांकित 24.08.2006 और 27.04.2007। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता-बैंक ने भविष्य निधि बकाया तक सीमित करने के इरादे के बावजूद बिक्री पत्र में "कर्मचारियों का बकाया" शब्द का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

केवल।

13.5 इस प्रकार, तथ्यों पर, हम पाते हैं कि धारा 13 (7) के संदर्भ में

सरफेसी अधिनियम, द्वारा प्राप्त धन का वितरण

अपीलार्थी-बैंक को बिक्री अनुबंध के अनुसार किया जाना चाहिए। उत्तरदाता सं. 5. दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता-बैंक दिनांकित 08.03.2010 बिक्री पत्र में अपने वचन के अनुसार कर्मचारियों के बकाया को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैधानिक देनदारियों सहित अन्य सभी देनदारियों को वहन करने के लिए सहमति दी गई थी

बाद के खरीदार, के संबंध में वैधानिक देनदारियाँ

कर्मचारियों, जैसे भविष्य निधि, उपदान, बोनस आदि का वहन उत्तरदाता संख्या 5 को करना होगा। हम यहाँ दोहराते हैं कि अपीलकर्ता-बैंक द्वारा बिक्री अनुबंध की व्याख्या करने के लिए एक बाद का प्रयास जो इसके दायित्व के दायरे को कम करता है - भविष्य निधि बकाया को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है।

14. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं

कमियाँ:

(i) कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए, जो श्रमिकों को अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता देती है, तत्काल मामले में लागू नहीं की जा सकती है।

सोसायटी अधिनियम की धारा 167।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ii) केवल भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होने के कारण, कर्मचारियों के बकाया, जिसके संबंध में औद्योगिक न्यायालय द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था, को भूमि राजस्व संहिता की धारा 169 (1) के संदर्भ में सर्वोपरि शुल्क के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके बजाय, भूमि राजस्व संहिता के 169 (2) के तहत, वे केवल असुरक्षित दावों पर प्राथमिकता लेंगे। (iii) साथ ही, अपीलकर्ता-बैंक को बिक्री आय पर कोई सर्वोपरि शुल्क भी नहीं लगता है। इसके बजाय, धारा के अनुसार

13 (7) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अनुसार, 08.03.2010 दिनांकित बिक्री पत्र और 14.09.2010 दिनांकित बिक्री प्रमाण पत्र एक अनुबंध का गठन करते हैं जो विस्थापित करता है।

उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित वितरण का आदेश।

((iv) इन दस्तावेजों का संचयी प्रभाव यह है कि अपीलार्थी

बैंक को नीलाम की गई संपत्ति से बिक्री आय में से कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करना होगा। इस हद तक, औद्योगिक न्यायालय द्वारा 08.08.2011 पर जारी वसूली प्रमाण पत्र को अपीलार्थी के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है।

यहाँ। इसके अलावा, कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में महत्वपूर्ण देरी को देखते हुए, इस आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कलेक्टर द्वारा ऐसी वसूली की जाएगी।

(v) सुरक्षित संपत्ति के संबंध में अन्य सभी देय राशि, जिनमें शामिल हैं

कर्मचारियों (भविष्य निधि, उपदान, बोनस, आदि) के संबंध में किसी भी अवैतनिक वैधानिक बकाया का भुगतान प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा छह की अवधि के भीतर किया जाएगा। इस आदेश की तारीख से महीनों।

15. तत्काल अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

ल का निपटारा किया गया।